रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2018/माघ 12, 1939
No. 418] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2018/MAGHA 12, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

का.आ. 487(अ).—भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य, कृषि और अन्य संघ बनाम भारत सरकार एवं अन्य के 2006 की रिट याचिका संख्या 365 में तारीख 6 अगस्त, 2010 के आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार को चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) के उपबंधों के अधीन, विशेषकर उपखंड 16ख, 16ग, 16घ और 16ड़ के अनुसार, छः माह के भीतर अपने कानूनी कर्तव्यों को क्रियान्वित करने का निदेश दिया था ;

और भारत का माननीय उच्चतम न्यायालय तारीख 21 जुलाई, 2017 को अवमान याचिका 2012 की 16 आदेश में निदेश दिया था कि तारीख 6 अगस्त, 2010 के उपरोक्त निदेर्शों का चार सप्ताह के भीतर अनुपालन किया जाए और तदनुसार केंद्रीय सरकार ने तारीख 7 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ) द्वारा 53 चाय एस्टेट्स के मामलों की जांच करने के लिए तीन समितियों का गठन किया था ;

और यत: तारीख 21.8.2017 को 2006 के रिट याचिका संख्या (सी) 365 के 2012 के 16 (सी) अवमान याचिका की सुनवाई के दौरान, बागानों की एक सूची जो तारीख 7 अगस्त, 2017 की अधिसूचना से बाहर रह गई थी, को माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था;

और चाय बोर्ड से ऐसे दस छोड़े गए बागानों की प्रारम्भिक जांच करने और उसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था ;

और यत: चाय बोर्ड की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि ऐसे सभी दस बागानों में वैधानिक देय श्रम राशि बकाया है और एक बागान अर्थात् कुमलई पहले ही बंद हो गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953(1953 का 29), की धारा 16ख की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में इस अधिसूचना के उपाबंध में दिए गए चाय सम्पदाओं के कार्यों की पूर्ण और समग्र अन्वेषण करने के लिए एक समिति नियुक्त करती है, अर्थात् :-

समिति का गठन

(i) श्री एस. सौन्दरराजन्, निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड कोलकाता ।

(ii) श्री फाल्गुनी बैनर्जी, उप-निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कोलकाता ।

(iii) श्री दीपांकर मुखर्जी, उप-निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कोलकाता ।

संदर्भ के निबंधन

समिति चाय सम्पदाओं के निम्नलिखित विषयों से संबन्धित कार्यों में पूर्ण और समग्र अन्वेषण करेगी, अर्थात् :-

(क) कर्मकारों और उनके आश्रितों को भुगतान की जा रही एवं देय मजदूरी, उपदान और भविष्य निधि का विवरण तथा अन्य बकाया राशि जो विधि के अंतर्गत भुगतान के लिए यथा बाध्यकारी हों ; और

(ख) मजदूरी का अंशदाय, उपदान और सम्यक भविष्य निधि के लिए चाय सम्पदाओं के स्वामियों के विरुद्ध संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के बारे में ब्यौरा ;

समिति इस अधिसूचना की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

[फा. सं. टी-29014/6/2008-बागान (अ)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

उपाबंध

क्रम संख्या	चाय सम्पदाओं का नाम
1.	कोहिनूर
2.	बामनडांगा टोंडु
3.	सामसिंग
4.	मेरिबोंग
5.	रुंगली रुंग्लिओट
6.	बागराकोटे
7.	किलकोट्ट
8.	नागाईसुरी
9.	गुंगारम

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2018

S.O. 487(E).—Whereas, the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition 365 of 2006 in the matter of International Union of Food, Agriculture and Ors. versus Union of India and Ors. vide order dated the 6th August, 2010 directed the Central Government to carry out their statutory duties under the provisions of Tea Act, 1953 (29 of 1953) particularly, in terms of Sections 16B, 16C, 16D and 16E within a period of six months;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court of India in Contempt Petition number 16 of 2012 vide order dated the 21st July, 2017 directed that the aforesaid directions dated the 6th August, 2010 to be complied within four weeks and accordingly the Central Government vide Notification number S.O. 2494(E), dated the 7th August, 2017 had constituted three committees to investigate into the affairs of fifty three tea estates;

And whereas, during the hearing of the Contempt Petition (C) 16 of 2012 in W.P.(C) No. 365 of 2006 on 21.08.2017, a list of gardens which were left out from the notification dated the 7th August, 2017 was brought to the notice of the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, the Tea Board was asked to conduct a preliminary inquiry of ten such left out gardens and submit a report;

And whereas, the report of Tea Board reveals substantial outstanding statutory labour dues in all such ten gardens and one garden namely Kumlai is already closed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints the Committee to make a full and complete investigation into the affairs of the tea estates given in Annexure to this notification, in the State of West Bengal, namely:—

Composition of the Committee

(i) Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development, Tea Board, Kolkata.

(ii) Shri Falguni Banerjee, Deputy Director of Tea Development, Tea Board, Kolkata.

(iii) Shri Dipankar Mukherjee, Deputy Director of Tea Development, Tea Board, Kolkata.

Terms of Reference

The Committee shall make a full and complete investigation into the affairs of the tea estates relating to the following matters, namely:—

(a) The details of wages, gratuity and provident fund dues being paid and payable to the workers and their dependents and such other dues as they under an obligation to pay under any law; and

(b) The details about the action initiated by authorities concerned against the owners of such tea estates for non-payment of wages, gratuity and provident fund dues.

The committee shall submit the report within three weeks from the date of the notificatio n.

[F. No. T-29014/6/2008-Plant (A)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Annexure

Sl. No.	Name of the tea estate
1	Kohinoor
2	Bamandanga Tondu
3	Samsing
4	Marybong
5	Runglee Rungliot
6	Bagrakote
7	Kilcott
8	Nagaisuree
9	Gungaram

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.03 17:54:51 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.